



बिहार वित्त सेवा संघ

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पत्रांक 08 (376)
दिनांक 02/11/2021संरक्षक मंडल
श्री सच्चिदानंद झा
श्री संजय कुमार मावंडिया

o/c

अध्यक्ष

श्री नन्दकिशोर सिंह
मो0-9431184941

उपाध्यक्ष

श्री नरेश कुमार
मो0-7903577040

महासचिव

श्री रणजीत कुमार
मो0-7532977589

कोषाध्यक्ष

श्री कृष्णा मोहन सिंह
मो0-7542010088

संयुक्त सचिव

श्री आविद सुबहानी
श्रीमति कुमारी गुंजन भारती
श्रीमति पुनीता कुमारी
सुश्री विनीता कुमारी
श्री आकाश आनंद

केन्द्रीय कार्यकारिणी

सभी प्रमंडलीय अपर आयुक्त (प्र०)

श्री किशोर कुमार सिन्हा
श्री विजय कुमार आजाद
श्री सुरेन्द्र प्रसाद
श्री दीपक कानन
श्री प्रशांत कुमार झा
श्री नन्द किशोर राज
श्री संजीव कुमार
श्री जाकिर अली अंसारी
श्री कार्तिक कुमार सिंह
श्री अनिल कुमार सिंह विद्यार्थी
श्री राजीव रंजन
श्री इरसाद आरिफ
श्री विवेक कुमार, विशाल कुमार
सुश्री शिप्रा झा
श्री विकास कुमार सिंह
श्रीमति विनीता वत्स
श्री गौरव
श्री हरेराम
सुश्री आस्था गार्गी
सुश्री सौम्या

सेवा में,

राज्य कर आयुक्त-सह सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।विषय :-बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों की समस्याओं एवं उनके
माँगों के संबंध में ज्ञापन।

महोदया,

बिहार वित्त सेवा संघ की तरफ से सर्वप्रथम दिनांक 08.03.2021 को माननीय उप मुख्य(वाणिज्य-कर) मंत्री की अध्यक्षता में की गयी बैठक में महोदया द्वारा विभाग के पदाधिकारियों की मूलभूत समस्याओं से मंत्री महोदय को अवगत कराने एवं उसके समाधान हेतु अनुरोध किये जाने के लिए महोदया को कोटि-कोटि धन्यवाद एवं आभार।

महोदया उक्त आलोक में बिहार वित्त सेवा संघ अपने पदाधिकारियों की समस्याओं से आपको अवगत कराते हुए उसके त्वरित समाधान की अपेक्षा रखता है। पदाधिकारियों की कतिपय प्रमुख समस्याएँ एवं माँगे निम्नवत् है :-

1.. वाणिज्य-कर विभाग के पत्रांक-1211, दिनांक 02.07.2020 के द्वारा संवर्गीय पदों को स्वीकृत किया गया है। इस पत्र के अनुसार बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों के लिए कोई बाह्य सेवा का पद स्वीकृत नहीं है। इसके बावजूद विभाग द्वारा बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन बाह्य सेवा के पदों पर कर दिया जाता है। इस संबंध में संघ की यह माँग है कि भविष्य में हगारे सेवा के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन बाह्य सेवा के पदों पर पदाधिकारियों से बिना विकल्प लिए नहीं किया जाय। साथ ही अनुरोध है कि जैसे पदाधिकारी जो जी0एस0टी0 के कार्यान्वयन के समय से ही लेखा सेवा/अन्य विभाग में प्रतिनियुक्त हैं, को विभाग में वापस लाने की कार्यवाई की जाये, ताकि उनके कार्यात्मक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।





(2)

निबंधन संख्या- 5000589/2017-18

बिहार वित्त सेवा संघ

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पत्रांक.....

दिनांक.....

संरक्षक मंडल

श्री सच्चिदानंद झा

श्री संजय कुमार मावंडिया

अध्यक्ष

श्री नन्दकिशोर सिंह

मो०-9431184941

उपाध्यक्ष

श्री नरेश कुमार

मो०-7903577040

महासचिव

श्री रणजीत कुमार

मो०-7532977589

कोषाध्यक्ष

श्री कृष्णा मोहन सिंह

मो०-7542010088

संयुक्त सचिव

श्री आबिद सुबहानी

श्रीमति कुमारी गुंजन भारती

श्रीमति पुनीता कुमारी

सुश्री विनीता कुमारी

श्री आकाश आनंद

केन्द्रीय कार्यकारिणी

सभी प्रमंडलीय अपर आयुक्त (प्र०)

श्री किशोर कुमार सिन्हा

श्री विजय कुमार आजाद

श्री सुरेन्द्र प्रसाद

श्री दीपक कानन

श्री प्रशांत कुमार झा

श्री नन्द किशोर राज

श्री संजीव कुमार

श्री जाकिर अली अंसारी

श्री कार्तिक कुमार सिंह

श्री अनिल कुमार सिंह विद्यार्थी

श्री राजीव रंजन

श्री इरसाद आरिफ

श्री विवेक कुमार, विशाल कुमार

सुश्री शिप्रा झा

श्री विकास कुमार सिंह

श्रीमति विनीता बत्स

श्री गौरव

श्री हरराम

सुश्री आस्था गार्गी

सुश्री सौम्या

2. महोदया आप इस तथ्य से पूर्णतः अवगत होंगी कि पूरे बिहार की प्रोन्नति का मामला न्यायालयी आदेश की प्रत्याशा में लंबित है। आप इससे भी सहमत होंगी कि मामले के निष्पादनोपरांत प्रोन्नति का मार्ग कब तक प्रशस्त होगा कहना कठिन है। यह हालात पदाधिकारियों के मनोबल को तोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में संघ यह मांग करता है कि तत्काल पदाधिकारियों को वरीयता के आधार पर उन्हें अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद पर पदस्थापन की कार्रवाई शीघ्रताशीघ्र की जाय। साथ ही, प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त होने पर रिक्तियों की तिथि से प्रोन्नति देते हुए विचारमूलक (Notional) आधार पर वेतनमान निर्धारण की सहमति प्रदान की जाय।

3. महोदया आप यह तथ्य से भी पूर्णतः अवगत होंगी कि वर्ष 2014 के बाद से विभाग द्वारा वरीयता का निर्धारण कर सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है। संघ का यह मानना है कि प्रोन्नति के संबंध में न्यायालयी निर्णय आने के बाद भी यह स्थिति प्रोन्नति में बाधक होगी। इस संबंध में संघ की यह मांग है कि वरीयता सूची का प्रकाशन शीघ्रताशीघ्र कराया जाय। इसके अतिरिक्त जिन पदाधिकारियों को प्रोन्नति मिलने की संभावना है, उनके गोपनीय अभियुक्ति लेखन का कार्य, निगरानी स्वच्छता प्रमाण-पत्र आदि का कार्य समय रहते पूर्ण करवाया जाय।

4. महोदया आप इस बात से भी अवगत होंगी कि पिछले दो-तीन वर्षों में इस विभाग में लगभग 250 पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। इस संबंध में यह संज्ञान में लाना है कि पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन के अभाव में कई पदाधिकारियों की सेवा विनियमित नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी जो सेवा सम्पुष्टि के पात्र हैं, उनका सेवा सम्पुष्टि का मामला लंबित है। इस संबंध में संघ की यह मांग है कि इस मामलों का त्वरित गति से निष्पादन कराया जाय।

5. महोदया आपके संज्ञान में इस तथ्य को भी लाना है कि वर्तमान में इस विभाग में विभिन्न कोटि के कुल 782 पद स्वीकृत हैं जिनमें 403 पद राज्य-कर सहायक आयुक्त, 201 पद राज्य-कर उपायुक्त, 112 पद राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, 54 पद राज्य-कर अपर आयुक्त, का एवं 12 पद राज्य-कर विशेष आयुक्त का है। स्पष्टतः राज्य-कर विशेष आयुक्त का स्वीकृत पद कुल स्वीकृत पद के अनुपात में नहीं है। इस संबंध में संघ की यह मांग है कि राज्य-कर विशेष आयुक्त का 25 पद स्वीकृत





(3)

निबंधन संख्या- S000589/2017-18

बिहार वित्त सेवा संघ

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पत्रांक.....

दिनांक.....

संरक्षक मंडल

श्री सच्चिदानंद झा

श्री संजय कुमार मार्वाडिया

अध्यक्ष

श्री नन्दकिशोर सिंह

मो0-9431184941

उपाध्यक्ष

श्री नरेश कुमार

मो0-7903577040

महासचिव

श्री रणजीत कुमार

मो0-7532977589

कोषाध्यक्ष

श्री कृष्णा मोहन सिंह

मो0-7542010088

संयुक्त सचिव

श्री आशिद सुबहानी

श्रीमति कुमारी गुंजन भारती

श्रीमति पुनीता कुमारी

सुश्री विनीता कुमारी

श्री आकाश आनंद

केन्द्रीय कार्यकारिणी

सभी प्रमंडलीय अपर आयुक्त (प्र0)

श्री किशोर कुमार सिन्हा

श्री विजय कुमार आजाद

श्री सुरेन्द्र प्रसाद

श्री दीपक कानन

श्री प्रशांत कुमार झा

श्री नन्द किशोर राज

श्री संजीव कुमार

श्री जाकिर अली अंसारी

श्री कार्तिक कुमार सिंह

श्री अनिल कुमार सिंह विद्यार्थी

श्री राजीव रंजन

श्री इरसाद आरिफ

श्री विवेक कुमार, विशाल कुमार

सुश्री शिपा झा

श्री विकास कुमार सिंह

श्रीमति विनीता बत्स

श्री गौरव

श्री हरोराम

सुश्री आस्था गार्गी

सुश्री सौम्या

किया जाय एवं इसी अनुपात में विशेष सचिव के वेतनमान का 10 पद स्वीकृत किया जाय।

6. महोदया आप इस तथ्य से भी अवगत होंगी कि वर्तमान में वाणिज्य-कर विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कुल 502 पदाधिकारी कार्यरत हैं जिनमें से अधिकांश पदाधिकारी अंचलों में पदस्थापित हैं। संघ का यह कहना है कि पदाधिकारियों की अधिक संख्या एवं क्षेत्रीय कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए अंचलों एवं आई0बी0 में सिर्फ 01 वाहन की उपलब्धता अपर्याप्त है। अतएव अंचलों एवं आई0बी0 में कम से कम 02 वाहन उपलब्ध कराया जाय। इसी आलोक में संघ का कहना है कि पदाधिकारियों के लिए पर्याप्त संख्या में टेबुल, कुर्सी, आलमीरा कम्प्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, बैटने का वातानुकूलित कक्ष, पदाधिकारीवार डाटा इण्ट्री ऑपरेटर एवं आई0टी0 ब्याय, होमगार्ड, महिला पदाधिकारियों कि लिए अलग शौचालय आदि की जल्द से जल्द व्यवस्था करायी जाय ताकि पदाधिकारियों को बेहतर Working Condition उपलब्ध कराते हुए राज्य हित में उन्हें अधिकाधिक राजस्व वसूली करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

7. महोदया संघ की यह मांग है कि जिन 09 नये अंचलों का निर्माण किया गया है कि उनमें प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारियों का पदस्थापन करते हुए उन्हें शीघ्र क्रियाशील बनाया जाय। साथ ही, इसी के अनुरूप नये प्रमण्डलों का भी जल्द से जल्द गठन कराया जाय। इसी आलोक में संघ की यह भी मांग है कि 03 प्रमण्डलों के उपर 01 जोनल कार्यालय का गठन किया जाय जिसका प्रभारी विशेष आयुक्त को बनाया जाय एवं तदनुसार इस कार्यालय में अन्य पदाधिकारियों का भी पदस्थापन किया जाय। इसके अतिरिक्त Enforcement wing को भी GST के कार्यों के अनुरूप Re-organise किया जाय एवं इसका स्थापना भी स्वतंत्र रखा जाय, जिसके प्रभारी विशेष आयुक्त को बनाया जाय।

8. GST में पदाधिकारियों का कार्य निष्पादन समयबद्ध है। जिला प्रशासन द्वारा अक्सर विधि-व्यवस्था एवं अन्यान्य कार्यों के लिए पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है जिससे मूल दायित्व निर्वहन प्रभावित होता है एवं राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः संघ का अनुरोध है कि भवदीया यथोचित कार्रवाई करना चाहेंगी।





बिहार वित्त सेवा संघ

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

संरक्षक मंडल
श्री सच्चिदानंद झा
श्री संजय कुमार मार्वंडिया

पत्रांक.....
दिनांक.....

अध्यक्ष

श्री नन्दकिशोर सिंह
मो०-9431184941

उपाध्यक्ष

श्री नरेश कुमार
मो०-7903577040

महासचिव

श्री रणजीत कुमार
मो०-7532977589

कोषाध्यक्ष

श्री कृष्णा मोहन सिंह
मो०-7542010088

संयुक्त सचिव

श्री आबिद सुबहानी
श्रीमति कुमारी गुंजन भारती
श्रीमति पुनीता कुमारी
सुश्री विनीता कुमारी
श्री आकाश आनंद

केन्द्रीय कार्यकारिणी

सभी प्रमंडलीय अपर आयुक्त (प्र०)
श्री किशोर कुमार सिन्हा
श्री विजय कुमार आजाद
श्री सुरेन्द्र प्रसाद
श्री दीपक कानन
श्री प्रशांत कुमार झा
श्री नन्द किशोर राज
श्री संजीव कुमार
श्री जाकिर अली अंसारी
श्री कार्तिक कुमार सिंह
श्री अनिल कुमार सिंह विद्यार्थी
श्री राजीव रंजन
श्री इरसाद आरिफ
श्री विवेक कुमार, विशाल कुमार
सुश्री शिप्रा झा
श्री विकास कुमार सिंह
श्रीमति विनीता बत्स
श्री गौरव
श्री हरराम
सुश्री आस्था गार्गी
सुश्री सौम्या

9. महोदया आप इस तथ्य से भी अवगत होंगी कि हमारे सेवा के पदाधिकारी आवास की समस्या का भी सामना कर रहे हैं। इस संबंध में संघ की यह भी मांग है कि जिन-जिन जिलों में विभाग के पास आवास बनवाने हेतु जमीन उपलब्ध है, वहाँ आवास निर्माण का कार्य शीघ्रताशीघ्र कराया जाय एवं जिन जिलों में जमीन की अनुपलब्धता है, वहाँ के जिलाधिकारी को उक्त कार्य हेतु भूमि-अर्जन करने के लिए अनुरोध किया जाय।

10. महोदया आप इस तथ्य से अवगत होंगी कि हमारे विभाग में महिला पदाधिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। बदलते सामाजिक परिवेश के साथ इन पदाधिकारियों के ऊपर बच्चों को पालने के साथ-साथ सरकारी कर्तव्यों की निर्वहन की भी जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में महिला पदाधिकारियों के लिए शिशु गृह की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संबंध में संघ की यह भी मांग है कि समाज कल्याण विभाग से इस संबंध में सरकार की योजना स्वीकृत कराते हुए उसे क्रियान्वित करने की संभावनाओं पर विचार करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

महोदया ज्ञापन के अंत में संघ विनम्रतापूर्वक यह बताना चाहता है कि बिहार वित्त सेवा केवल प्रिमियर सेवा ही नहीं है अपितु यह राज्य के विकास का मेरुदंड भी है। भारतीय प्रशानिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा हमारे सेवा के पदाधिकारियों की मेहनत और कर्मठता का मिसाल दिया जाता रहा है। इतना ही नहीं सरकार के पारदर्शी व ई-गवर्नेंस की नीति को धरातल पर उतारने में इस सेवा की अग्रणी भूमिका रही है परन्तु अफसोस है कि सुविधा के मामलों में यह सेवा राज्य के अन्य सेवाओं से काफी पीछे है।

अतः संघ का भवदीया से यह अनुरोध है कि वर्णित सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इस पर यथोचित कार्रवाई शीघ्रताशीघ्र की जाय।

1/11/2017

1/11/2017

1/11/2017